# एक अक्टूबर से सिर्फ सीएनजी बसें चलेंगी

**GOOD NEWS**

### 121 बस संचालकों का किया जाएगा चयन

patna@inext.co.in

**PATNA (6 May):** पटना शहरी क्षेत्र में डीजल बसों की जगह सीएनजी बसें लेंगी. एक अक्टूबर से पटना नगर निगम के साथ दानापुर, फुलवारीशरीफ और खगौल नगर परिषद में सभी डीजल बसों के परिचालन पर रोक लग जाएगी. इसको लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. पुरानी डीजल बसों की जगह नई सीएनजी बसें खरीदने के लिए विभाग बिहारच स्वच्छ ईंधन (सिटी बस प्रोत्साहन) योजना 2023 के तहत अनुदान देगा. योजना के तहत 121 बस संचालकों को नई सीएनजी बस की खरीद पर 30 प्रतिशत तक अधिकतम 7.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

## 27 मई तक आवेदन

परिवहन विभाग ने डीजल चालित निजी बसों को नए सीएनजी बसों से बदलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निजी डीजल बस संचालक 27 मई तक पटना जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. लाभुकों के चयन के लिए पटना डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है. योजना के तहत वाहन के एक्स शोरूम मूल्य (सभी टैक्स सहित) पर 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 7.50 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान 24 सीटों वाले डीजल चालित बस के बदले अधिकतम 24 या 32 सीट वाली बसों के बदलाव के लिए दिया जाएगा. इसके साथ ही योजना का लाभ पाने वाले बस संचालकों को इसका घोषणा पत्र भी देना होगा कि वह डीजल चालित बस का परिचालन पटना शहरी क्षेत्र में नहीं करेंगे. ऐसा करने पर उनपर कार्रवाई की जाएगी.

## 161 बसों का हो रहा परिचालन

वर्तमान में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा कुल 161 सीएनजी बसों का परिचालन विभिन्न मार्गों पर हो रहा है, जिनमें से 111 सीएनजी बसों का परिचालन पटना नगर सेवा के विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है. मालूम हो कि पटना शहरी क्षेत्र की वायु गुणवता में सुधार के उद्देश्य से पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में 30 सितंबर 2023 के बाद डीजल चालित सिटी बसों का परिचालन प्रतिबंधित किया गया है.

**30%**
**तक अधिकतम अनुदान का प्रविधान**

| | | |
|---|---|---|
| 27 मई तक आवेदन की तारीख | 01 जून को जिलास्तरीय समिति की बैठक | 05 जून को चयन सूची का होगा प्रकाशन |
| 07 जून को आपत्ति आमंत्रण | 09 जून को आपत्ति निराकरण | 10 जून को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन |
| 12 जून से आवेदन राशि के लिए आवेदन | | |

## देने होंगे यह कागजात

पुराने वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र, नए सीएनजी वाहन का कोटेशन, पुराने वाहन की पूर्व स्वीकृत परमिट की प्रति, पुराने वाहन का फिटनेस, वैध बीमा प्रमाण पत्र, लाभुक के आधार कार्ड की प्रतिलिपि, लाभुक के बैंक खाता की विवरणी, वित्त पोषण संस्था का ऋण स्वीकृति पत्र.